

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	सौजा का नाम	थाना नं०
1	कैमूर	मधुआ	फलहपुर	261
2			सारंगपुर	439
3			दुमदुम	441
4			दीरमानपुर	524
5			कनपड़ा	586
6			मिर्झिया	587
7			छोटका कीर	589
8			सरेया	588
9			रेहो	619
10			पड़ैया	625
11			लिकुनपुर	626
12			परानपुर	604
13			बड़का डिहमा	627
14			मानिकपुर	615
15			अमरहा	673
16			रामपुर	592
17			बिपपहो	444
18			परसुरामपुर	703
19			चरकी डिलेश	690
20			सखवा	482
21			रामपुर	559
22			सिरमौरा	593

E:\And Kumar Shrivastava pradiy 2016\1 verification.doc

अनुसूची

समकन हेतु अधिसूचित किए गये थे, समकन संधिधर्माएँ बन्द की जाती है।
 1168 दिनांक 26.11.70, 1968 दिनांक 26.11.70 एवं 1076 दिनांक 12.10.72 द्वारा जालों के
 डंकाईयाँ (ग्रामी) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस0310
 जारी किये जाने के उपरान्त इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित
 अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तर्ग प्रमाण पत्र
 प्रदान करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नव्यों और
 अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शर्तियाँ का
 एस0310 529 | 16.05.2016 बिहार जाल समकन एवं खण्डकरण निवारण

अधिसूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
 (चकबंदी निदेशालय)
 संधिका संख्या-12/चक0-मू0-26(क)-4/2016

23				दलियाँ	503
24				अकरी	505
25				रुईयाँ	512
26				पलका	431
27				ढलियाँ	438
28				इटाही	553
29				तमाछ	591
30				बरानिया	551
31				बरानपुर	264
32				महिआ	436
33				कमला	552
34				गाइहन	437
35				पलरिहा	546
36				मिर्जापुर खैरी	117
37				बासा	159
38				छाटका नीमडिहा	650
39				नीमा	228
40				पिपरी	170
41				गहिया	163
42				मदीरिया	145
43				उकरीली	326
44				रूपानन्दपुर	186
45				बगौड़ी	370
46				जोगिया	410
47				नीमा	458
48				कुबड़ा (काँडा)	27
49				बाँवडा प० पड़ी	41
50				पाण्डेयपुर	42
51				कोनहरा	50
52				मिन्की	56
53				राजपुर	58
54				बकना	88
55				गौरवार	91
56				केशीपुर	15
57				रामपुर	362
58				एराजी सराय	383
59				सैदाबाद	98
60				बुधवा	360
61				रसुन्डआ	14
62				निमिया	25
63				भैरवा	85
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

64			भगवानपुर	36
65			भीमपुर	07
66			अहमदचक	352

बिहार राज्यपाल के आदेश से

 11/5/16

सरकार के अवर सचिव।

एस0ओ0 529 / दिनांक 16.05.2016 / एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

 11/5/16

सरकार के अवर सचिव।

Revenue & Land Reforms Department
Directorate of Consolidation

Notification

File No. 12/११०५०-२६(१)-०४/२०१६

S.O. 529/१६ Dated 16.05.16 In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings in notification nos. S.O. 1168 dated 26-11-70, 1968 dated 26-11-70 and 1076 dated 12-10-72.

Schedule

Serial no.	Name of District	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Kaimur	Bhabhua	Fatehpur	261
2			Sarangpur	439
3			Dumdum	441
4			Virbhanpur	524
5			Kanpaha	586
6			Miriya	587
7			Choika Kir	589
8			Saraiya	588
9			Rehi	619
10			Paitya	625
11			Kishunpur	626
12			Paranpur	604
13			Barka Dihrama	627
14			Manikpur	615
15			Amraha	673
16			Rampur	592
17			Shivpatti	444
18			Parsurampur	703
19			Charhi English	690
20			Sekhawa	482
21			Rampur	559
22			Sirmaura	593
23			Datiyaw	503

[illegible]

65			Bhimpur	07
66			Ahmadchak	352

By Order of the Governor of Bihar

[Signature]
11/5/16

Under Secretary of Government

ज्ञाप संख्या 529/चक०, दिनांक 16.05.2016

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, चकबंदी निदेशालय, भूमि विकास बैंक, चौथी मंजिल, बुद्ध मार्ग, पटना को एवं 25-25 अतिरिक्त प्रतियाँ संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मुख्यालय) बिहार, पटना/उप निदेशक, चकबंदी, रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का कष्ट करें।

[Signature]
11/5/16

सरकार के अवर सचिव।